

छोटे एवं बड़े झाड़ के जंगल की भूमि सम्मिलित नहीं होने बाबत

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा ग्राम-बाण्डा तहसील-सिंगोली जिला-नीमच में बाण्डा जलाशय योजना हेतु रकबा 25.00 हे., परवनी जलाशय योजना हेतु रकबा 8.80 हे. एवं गंगाबावडी जलाशय योजना हेतु रकबा 28.25 हे. कुल रकबा 62.05 हे. वनभूमि के बदले ग्राम-जेथलिया तहसील-सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 247/2 रकबा 33.812 हे. में से 12.05 हे. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 62/अ-20(3)/2022-23 के पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 अनुसार हस्तांतरित की गई। तथा ग्राम-डाबी तहसील-सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 1/2 कुल रकबा 54.559 हे. में से रकबा 39.00 हे. एवं ग्राम-जेथलिया सर्वे नं 247/3/2 कुल रकबा 14.812 में से 3.00 हे., सर्वे नं 248 में कुल रकबा 11.547 हे. में से रकबा 8.00 हे. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 0237/अ-20(3)/2023-24 के पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 अनुसार हस्तांतरित की गई। उक्त भूमि में छोटे एवं बड़े झाड़ के जंगल मद की कोई भी भूमि सम्मिलित नहीं है।

21/3/24
तहसीलदार
तहसील सिंगोली
तहसील-सिंगोली
जिला नीमच (म.प्र.)

व्यक्तियों एवं समुदायों के विद्यमान अधिकारों के अभिलेखन का

प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा ग्राम-बाण्डा तहसील-सिंगोली जिला-नीमच में बाण्डा जलाशय योजना हेतु रकबा 25.00 हे., परवनी जलाशय योजना हेतु रकबा 8.80 हे. एवं गंगाबावडी जलाशय योजना हेतु रकबा 28.25 हे. कुल रकबा 62.05 हे. वनभूमि के बदले ग्राम-जेथलिया तहसील-सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 247/2 रकबा 33.812 हे. में से 12.05 हे. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 62/अ-20(3)/2022-23 के पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 अनुसार हस्तांतरित की गई। तथा ग्राम-डाबी तहसील-सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 1/2 कुल रकबा 54.559 हे. में से रकबा 39.00 हे. एवं ग्राम -जेथलिया सर्वे नं 247/3/2 कुल रकबा 14.812 में से 3.00 हे., सर्वे नं 248 में कुल रकबा 11.547 हे. में से रकबा 8.00 हे. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 0237/अ-20(3)/2023-24 के पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 अनुसार हस्तांतरित की गई। उक्त भूमि में किन्हीं भी व्यक्तियों एवं समुदायों के व्यक्तिगत/सामुदायिक अधिकार सम्मिलित नहीं है।


तहसीलदार
तहसील सिंगोली
जिला नीमच

अतिक्रमण मुक्त होने बाबत प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा ग्राम-बाण्डा तहसील-सिंगोली जिला-नीमच में बाण्डा जलाशय योजना हेतु रकबा 25.00 हे., परवनी जलाशय योजना हेतु रकबा 8.80 हे. एवं गंगाबावडी जलाशय योजना हेतु रकबा 28.25 हे. कुल रकबा 62.05 हे. वनभूमि के बदले ग्राम-जेथलिया तहसील-सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 247/2 रकबा 33.812 हे. में से 12.05 हे. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 62/अ-20(3)/2022-23 के पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 अनुसार हस्तांतरित की गई। तथा ग्राम-डाबी तहसील-सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 1/2 कुल रकबा 54.559 हे. में से रकबा 39.00 हे. एवं ग्राम -जेथलिया सर्वे नं 247/3/2 कुल रकबा 14.812 में से 3.00 हे., सर्वे नं 248 में कुल रकबा 11.547 हे. में से रकबा 8.00 हे. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 0237/अ-20(3)/2023-24 के पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 अनुसार हस्तांतरित की गई। उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।


तहसीलदार
तहसील सिंगोली
जिला नीमच (म.प्र.)

प्रस्तावित गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने (आधिपत्य सौंपने) का
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा ग्राम-बाण्डा तहसील-सिंगोली जिला-नीमच में बाण्डा जलाशय योजना हेतु रकबा 25.00 हे., परवनी जलाशय योजना हेतु रकबा 8.80 हे. एवं गंगाबावडी जलाशय योजना हेतु रकबा 28.25 हे. कुल रकबा 62.05 हे. वनभूमि के बदले ग्राम-जेथलिया तहसील-सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 247/2 रकबा 33.812 हे. में से 12.05 हे. राजस्व भूमि दिनांक 21.12.2023 को (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 62/अ-20(3)/2022-23 के पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 अनुसार हस्तांतरित की गई। तथा ग्राम-डाबी तहसील-सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 1/2 कुल रकबा 54.559 हे. में से रकबा 39.00 हे. एवं ग्राम -जेथलिया सर्वे नं 247/3/2 कुल रकबा 14.812 में से 3.00 हे., सर्वे नं 248 में कुल रकबा 11.547 हे. में से रकबा 8.00 हे. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म. प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 0237/अ-20(3)/2023-24 के पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 अनुसार हस्तांतरित की गई। उक्त भूमि दिनांक 01.01.2024 को मौके पर चतुरसीमा पत्थर की ढेरियों से चिन्हित कर वनपरिक्षेत्राधिकारी नीमच को कब्जे में दी गई है।

21.3.2024
तहसीलदार
तहसील सिंगोली
जिला नीमच (म.प्र.)

प्रस्तावित गैर वनभूमि के वैधानिक स्वरूप (राजस्व भूमि अथवा निजी भूमि) बाबत
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा ग्राम-बाण्डा तहसील-सिंगोली जिला-नीमच में बाण्डा जलाशय योजना हेतु रकबा 25.00 हे., परवनी जलाशय योजना हेतु रकबा 8.80 हे. एवं गंगाबावडी जलाशय योजना हेतु रकबा 28.25 हे. कुल रकबा 62.05 हे. वनभूमि के बदले ग्राम-जेथलिया तहसील-सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 247/2 रकबा 33.812 हे. में से 12.05 हे. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 62/अ-20(3)/2022-23 के पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 अनुसार हस्तांतरित की गई। तथा ग्राम-डाबी तहसील-सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 1/2 कुल रकबा 54.559 हे. में से रकबा 39.00 हे. एवं ग्राम -जेथलिया सर्वे नं 247/3/2 कुल रकबा 14.812 में से 3.00 हे., सर्वे नं 248 में कुल रकबा 11.547 हे. में से रकबा 8.00 हे. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 0237/अ-20(3)/2023-24 के पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 अनुसार हस्तांतरित की गई।

तहसीलदार 21.3.2024
तहसील सिंगोली
जिला नीमच (म.प्र.)

प्रस्तावित गैर वनभूमि किसी अन्य परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नहीं दिये
जाने बाबत प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा ग्राम-बाण्डा तहसील-सिंगोली जिला-नीमच में बाण्डा जलाशय योजना हेतु रकबा 25.00 हे., परवनी जलाशय योजना हेतु रकबा 8.80 हे. एवं गंगाबावडी जलाशय योजना हेतु रकबा 28.25 हे. कुल रकबा 62.05 हे. वनभूमि के बदले ग्राम-जेथलिया तहसील-सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 247/2 रकबा 33.812 हे. में से 12.05 हे. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 62/अ-20(3)/2022-23 के पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 अनुसार हस्तांतरित की गई। तथा ग्राम-डाबी तहसील-सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 1/2 कुल रकबा 54.559 हे. में से रकबा 39.00 हे. एवं ग्राम -जेथलिया सर्वे नं 247/3/2 कुल रकबा 14.812 में से 3.00 हे., सर्वे नं 248 में कुल रकबा 11.547 हे. में से रकबा 8.00 हे. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 0237/अ-20(3)/2023-24 के पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 अनुसार हस्तांतरित की गई। उक्त भूमि किसी अन्य परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित/नामांतरित नहीं की गई है।


तहसीलदार
तहसील सिंगोली
जिला नीमच (म.प्र.)